फा.सं. ए-44011/1/2018-प्रशा.I
भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक 06.11.2018

सेवा में,

श्री भानु प्रताप नागर,
सहायक आयुक्त (पशुपालन)
104/आर, सेक्टर-4, डी.आई.जेड एरिया,
बंगाला साहिब मार्ग, गोल मार्किट
नई दिल्ली-110001

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना देना।

महोदय,

कृपया दिनांक 09.10.2018 के आनलाईन आवेदन सं. डीओएएचडी/आर/2018/00207 का संदर्भ लें और नीचे दी गई सूचना प्राप्त करें।

| क्रमानुसार मांगी गई सूचना | उत्तर |
|---|---|
| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आंशिक रूप से 11, 13, 15 तथा 16 | मांगी गई सूचना प्रश्न (पूछ-ताछ)/राय मांगने के रूप में है जो सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के नियम 2(च) के नियम के संदर्भ में सूचना उपलब्ध नहीं कराता है। जिसके अनुसार 'सूचना' का अर्थ है किसी भी दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, राय, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश लागबुक, संविदा, रिपोर्ट, पेपर, नमूने, किसी इलेक्ट्रानिक रूप में डाटा सामग्री और किसी निजी निकाय से संबंधित सूचना जहां तक किसी अन्य कानून के तहत सार्वजनिक प्रधिकरण द्वारा उपयोग किया जा सकता है। |
| 9 | भानु प्रताप नागर के केस में माननीय केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली के केस संख्या ओ.ए 1616/2013 दिनांक 22.09.2014 बनाम सचिव, पशुपालन विभाग व अन्य में नोटिफाइड आदेश प्राप्ति के कार्यालय में मिलने से तीन महीने में इम्पलीमेंट करना था। इसमें विभाग द्वारा चयन प्रक्रिया / रिक्रूटमेंट रूल बनाने में इतना समय लगा चूंकि आदेश को इम्पलीमेंट करने हेतु, विभिन्न विभागों से अनुमति लेना अनिवार्य था। चूंकि प्रस्तुत केंस में एपीडीओ का कोई फीडर ग्रेड नहीं है उसे पदोन्नति में शामिल करने हेतु नये आरआर बनाये गये। इस फाइल की नोंटिग में 50 पृष्ठ है। पृष्ठों की प्रतिलिपि |

Scanned by CamScanner

| | |
|---|---|
| | हासिल करने हेतु 100 रुपये जमा करवाये जाये। |
| 10 | सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के नियम 2(च) के तहत 'सूचना' मे परिभाषित नहीं है तथा आरटीआई अधिनियम के भाग 8(1) तथा (अ) मे दी गई परिभाषा के अनुसार यह व्यक्तिगत सूचना है। |
| 11 (कृपया यूपीएससी द्वारा की गई डीपीसी की फोटोकॉपी प्रदान की जाए।) | (आंशिक रूप से) यूपीएससी द्वारा दी गई डीपीसी की फोटोकॉपी के लिए 10 रुपये जमा करवाएं। |
| 12 | मांगी गई सूचना संबंधित कार्यालयों की वेबसाइट पर उपलब्ध है। |
| 14 | मांगी गई सूचना क्र.सं. 9 में दे दी गई है। |

2. इस पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों की अवधि के अंदर यदि आप चाहे तो अपील कर सकते हैं।

श्री धर्म प्रकाश
अवर सचिव (प्रशा.I),
कक्ष सं. 436 ए,
कृषि भवन, नई दिल्ली-110001

भवदीय,

रोहित तिवारी 6/11/...

(रोहित तिवारी)
अनुभाग अधिकारी और सीपीआईओ

प्रतिप्रेषित:-

1. आरटीआई अनुभाग, डीएडीएफ
2. एन.आई.सी. सूचना को अपलोड करने हेतु।

Scanned by CamScanner